

न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-37/2019

CIS-199/2019

Date	Remarks
11.08.2022	वादी की ओर से वकालतन हाजिरी तथा प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गयी है। वादी की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया। वाद पुकारा गया। पुकारे जाने पर उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन प्रचालित किया गया। सुना। वादी की ओर से आवेदन इस आशय का दिया गया है की वादी की ओर से दाखिल आवेदन अंदर आदेश 06 नियम 17 C.P.C. दिनांक 19-04-2022 माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया तथा वादी को अर्जीदावी में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संशोधन करने का आदेश दिया गया। परन्तु आदेश फलक का अवलोकन वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ससमय नहीं किया जा सका। वादी न्यायालय के आदेश दिनांक 14-06-2022 को ससमय अनुपालन करने में जानबूझ कर कोई बिलम्ब नहीं किया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करना जरूरी है। अतः आदेश दिनांक 14-06-2022 के आलोक में अर्जीदावी में संशोधन करने हेतु समय विस्तारित करने का आदेश देने हेतु निवेदन करते है। प्रतिवादी द्वारा आवेदन का मौखिक रूप से प्रबल विरोध किया जाता है तथा उचित कॉस्ट लगाने की बात कहते है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है की वादी द्वारा दिनांक 19-04-2022 को अंदर आदेश 06 नियम 17C.P.C. के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 14-06-2022 को स्वीकृत किया गया तथा वादी को निर्देश दिया गया की कार्यालय लिपिक के सहयोग से एक सप्ताह के अंदर अर्जीदावी में पुराने खेसरा के नीचे नए खेसरा अभिलिखित कर न्यायालय को सूचित करे। परन्तु आदेश फलक का अवलोकन वादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ससमय नहीं किये जाने के कारण अर्जीदावी में संशोधन नहीं किया जा सका। वादी द्वारा जानबूझ कर कोई गलती नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-06-2022 का पालन करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन मो०-100/- के खर्च पर स्वीकृत करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है की कार्यालय लिपिक के सहयोग से एक सप्ताह के अंदर अर्जीदावी में दिनांक 14-06-2022 को पारित आदेश के आलोक में संशोधन कर न्यायालय को सूचित करे। खर्च की राशि प्रतिवादी को देय है। उभय पक्ष के अधिवक्ता के मौखिक निवेदन करते है की उभय पक्ष के बीच सुलह की कोई सम्भावना नहीं है। उभय पक्ष वाद मूल प्रारूप दाखिल करे। दिनांक 26-08-2022 वास्ते उभय पक्ष की ओर से वाद मूल का प्रारूप दाखिल करने। लेखापित मुंसिफ प्रथम

न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-37/2019

CIS-199/2019

--	--	--

न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-37/2019

CIS-199/2019